संख्या- 66 /2020/ 24 /सात-न्याय-9(बजट)-2020-800(19)/2018

प्रेषक,

जे0 पी0 सिंह-II,

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर,

लखनऊ ।

न्याय अनुभाग-9 बजट लखनऊ दिनांक 14 फरवरी, 2020

विषय- न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर लखनऊ परिसर में चहारदीवारी की ऊॅचाई बढ़ाने तथा उसके किनारे पाथवे एवं नाली का निर्माण तथा वाहय विद्‌युतीकरण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संख्या- 56/2018/402 /सात-न्याय-9(बजट)-2018-800(19)/2018, दिनांक 19 अप्रैल,2018 के द्‌वारा न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर लखनऊ में कान्फ्रेंसहॉल के निर्माण तथा संस्थान परिसर की चहारदीवारी की ऊॅचाई बढ़ाने तथा उसके किनारे पाथवे एवं नाली का निर्माण तथा वाहय विद्‌युतीकरण हेतु आगणन क्रमश: रू0 207.57 लाख व रू0 404.32 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ प्रथम किश्त के रूप में क्रमश: रू0 103.79 लाख व रू0202.16 लाख अर्थात कुल रू0 305.95 लाख की धनराशि निर्गत की गयी । पुन: शासनादेश संख्या- 28/2019/265 /सात-न्याय-9(बजट)-2019-800(19)/2018, दिनांक 01 मार्च,2019 के द्‌वारा रू0 94.05 लाख तथा शासनादेश संख्या- 71/2019/592 /सात-न्याय-9(बजट)-2019-800(19)/2018, दिनांक 14 मई, 2019 द्‌वारा रू0 211.89 लाख की धनराशि निर्गत की गयी । इस प्रकार आगणन रू0 611.89 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि निर्गत की जा चुकी है । शासनादेश संख्या पुन: 123/2019/1274 /सात-न्याय-9(बजट)-2019-800(19)/2018, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्‌वारा न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर लखनऊ परिसर में चहारदीवारी की ऊॅचाई बढ़ाने तथा उसके किनारे पाथवे एवं नाली का निर्माण तथा वाहय विद्‌युतीकरण हेतु पुनरीक्षित आगणन रू0 423.53 लाख + (जी0एस0टी0) पर पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0404.32 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 19.21 लाख की धनराशि निर्गत की गयी । इस प्रकार पुनरीक्षित आगणन रू0 423.53 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि निर्गत की जा चुकी है ।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर लखनऊ परिसर में चहारदीवारी की ऊॅचाई बढ़ाने तथा उसके किनारे पाथवे एवं नाली का निर्माण तथा वाहय विद्‌युतीकरण हेतु पुन: पुनरीक्षित आगणन रू0 445.31 लाख (जी0एस0टी0 सहित) पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 423.53 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू021.78 लाख (रू0 इक्कीस लाख अटठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- चूंकि उक्त निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, कार्यदायी संस्था नामित है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

4- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2020 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

6- शासनादेश संख्या पुन: 123/2019/1274 /सात-न्याय-9(बजट)-2019-800(19)/2018, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।

7- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी 2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2019-2020 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक- 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-00- 60-अन्य भवन-051- निर्माण- 06- न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में निर्माण कार्य -24-वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

भवदीय,

(जे0 पी0 सिंह-।।)
प्रमुख सचिव।

सं0- 66 (1) /2020/ 24 (1)/सात-न्याय-9(बजट)-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।

5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0लखनऊ।

6- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 हाई को0 इकाई-1 लखनऊ ।

7- वित्त ई- 12 / गार्डबुक न्याय-9 (बजट)

आज्ञा से,

(अजय कुमार शाही)
विशेष सचिव।